



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1520 / अका. / सम्बद्धता / 2014

रायपुर, दिनांक : 10 / 10 / 2014

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2014 के अनुमोदनानुसार देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी, खपरी, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय (नए विषय) एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	1. P.G.D.C.A.	30	2014-15

शर्तें :-

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2014 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक/1801/1380/2012/38-2 दिनांक 16.05.2012 के द्वारा नवीन P.G.D.C.A. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
07. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करें।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 1521 / अका. / सम्बद्धता / 2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 10 / 10 / 2014

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित कार्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

- [प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।] के संदर्भ में
- पक्ष क्रमांक 979/अका/2014 दिनांक 14-08-2014 के संदर्भ में
- PGDCA 30 साई के लिए निरीक्षण किया और पाया -
1. अध्यापन संतोषजनक है
 2. कंप्यूटर प्रयोगशाला में 10 और कंप्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है
 3. वाचनालय में (ग्रंथालय) में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय की 10-10 पुस्तक रख करे की आवश्यकता है
 4. विशेषज्ञात्मक परीक्षण 28 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाए
 5. पाठ्यक्रम से संबंधित मासिक सॉफ्टवेयर क्रय करे जाए

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं
हस्ताक्षर

Sharma
21-08-2014
Dr. Sanjay Kumar

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-
पता

21-8-14
(DR. V.K. PATE)

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं
नाम-पता

दिनांक

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)